प्रेस नोट **12/09/2024**

शातिर अपराधी (गांजा तस्कर) संजय जायसवाल द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने भाई के नाम से क्रय की गयी अचल संपत्ति (भूखण्ड) व उस पर बना दोमंजिला मकान (लगभग 86 लाख रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत किया गया कुर्क-

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व मधुबन के नेतृत्व में थाना घोसी, मधुबन व कोपागंज पुलिस व राजस्व टीम द्वारा संजय जायसवाल पुत्र छेदीलाल निवासी रईसा थाना कोपागंज व हाल पता बहरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोपागंज में मु0अ0सं0 441/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत है। अभियुक्त संजय जायसवाल अपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है जो अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ गांजा तस्करी के अपराध से अर्जित धन से अपने भाई राजू जायसवाल पुत्र छेदी जायसवाल निवासी हिराजपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ के नाम से मौजा हिराजपट्टी तहसील मधुबन जनपद मऊ स्थित गाटा संख्या 30 रकबा 0.020हे0 क्रय कर रकबा 0.0096 हे0 भूमि पर दोमंजिला मकान का निर्माण किया गया है, उक्त भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 49,87,500 रूपये है तथा उस पर बने दोमंजिला मकान का अनुमानित मूल्य लगभग 36,10,000 (कुल अनुमानित कीमत 85,97,500 रुपए है) क्रय किया गया है जबकि उसका भाई उक्त अचल सम्पत्ति का केवल दृश्यमान स्वामी हैं। इस अचल सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी संजय जायसवाल ही है तथा उक्त भवन का उपयोग वह स्वयं के छिपने एवं अपने गैंग के सदस्यों को संरक्षण देने के लिये करता है। दोनों भाईयों के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत और न ही पुश्तैनी ऐसी स्थिति थी कि इतनी सम्पत्ति क्रय कर उस पर बेशकीमती मकान का निर्माण कराया जा सके।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 27.08.2024 को उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 06.09.2024 को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को थाना घोसी, मधुबन व कोपागंज पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किया गया।

वध हेतु जा रही 04 राशि गोवंश व 02 राशि बछड़े तथा 02 अदद पिकअप वाहन बरामद, 03 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 11.09.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बेलौली पुलिस बुथ के पास से वध हेतु क्रुरता पुर्वक ले जा रहे 04 राशि गोवश व 02 राशि बछड़े को घटना कारित में प्रयुक्त 02 अदद पिकअप

(यूपी60बीटी7125), (यूपी60सीटी0277) बरामद कर अभियुक्तगण राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव निवासी बडसरी जागीर थाना मनियर, वकील कुमार राम पुत्र हिरालाल राम निवासी रामगढ थाना हल्दी, अनिल यादव पुत्र मिट्ठू यादव निवासी तिवारी के मिल्की थाना बैरिया जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 190/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद दोनों पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव निवासी बडसरी जागीर थाना मनियर जनपद बलिया।
2. वकील कुमार राम पुत्र हिरालाल राम निवासी रामगढ थाना हल्दी जनपद बलिया।
3. अनिल यादव पुत्र मिट्ठू यादव निवासी तिवारी के मिल्की थाना बैरिया जनपद बलिया।

बरामदगी–

1. 04 राशि गोवश व 02 राशि बछड़े।
2. 02 अदद पिकअप (यूपी60बीटी7125), (यूपी60सीटी0277)।

अपराधिक इतिहास राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव–

1. मु0अ0सं0 117/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 123/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सुखपुरा जनपद बलिया।
3. मु0अ0सं0 159/18 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

एसआईयूटी सूरज सिंह, हे0का0 राजबहादुर यादव, का0 संजीव सिंह, का0 हृषिकेश पाण्डेय थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दहेज हत्या मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹9,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ASJ/FTC 1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 12-09-2024 को मु0अ0सं0 386/2017 धारा 302,498A,304B,201 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त सिप्तेहसन पुत्र स्व0 अशलम निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹9,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी विनोद चौहान थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।

मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन/महिला कल्याण) के दृष्टिगत मऊ पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **आज दिनांक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा जनपद में भ्रमणशील रहकर स्कूल/कॉलेजों एवं महत्वपुर्ण स्थानों पर पहुचकर शांति/सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ।** इस दौरान एण्टीरोमियों टीम के साथ छुट्टी होने के समय लिटिल फ्लॉवर स्कूल सीकटिया पहुचकर रैण्डम चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रुप से घुम रहे व्यक्तियों को हिदायत दी गयी तथा छात्राओं/महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरुक किया गया । साथ ही साथ जनपद के समस्त थाना की एण्टीरोमियों टीमों द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को सुरक्षा सम्बंधी विभिन्न महिला हेल्प लाइन 1090, यूपी-112, हेल्पलाइन नम्बरों 1076 आदि सभी महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल उक्त दिए गए हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल कर पुलिस को सूचित करने हेतु बताया गया। सभी बालिकाओं/महिलाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने आदि के संबंध में जागरुक किया गया।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय मोड के पास से मु408 0सं0अं0/ 2024धारा 64/115(2)/351(2)बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रवि राजभर पुत्र परमा निवासी कन्धेली फरीदपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।